

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section -3 (iii) Dated 29th September, 2026
To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 29th September, 2026

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 29th September, 2026
Asvina 07, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/3/2026(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 29th September, 2026, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

S.No.	Name of State	No. of members
	(1)	(2)
1.	Uttar Pradesh	10
2.	Uttarakhand	1

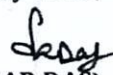
Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 06th October, 2026 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 07th October, 2026 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 09th October, 2026 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 16th October, 2026 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 19th October, 2026 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

By order,


(SUMAN KUMAR DAS)
SECRETARY

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 29 सितम्बर, 2026 को प्रकाशनार्थ।

राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण

अंक में 29 सितम्बर, 2026 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

आश्विन 07, 1948 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/3/2026 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 29 सितम्बर, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी		
क्र. सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	उत्तर प्रदेश	10
2.	उत्तराखंड	1

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 06 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 07 अक्टूबर, 2026 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 16 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार), और
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 19 अक्टूबर, 2026 (सोमवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)

सचिव

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section -3 (iii) Dated 29th September, 2026
To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 29th September, 2026

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 29th September, 2026

Asvina 07, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/3/2026(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

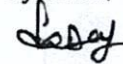
- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 29th September, 2026: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Uttar Pradesh	Shri Ajit Kumar Verma, Special Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly	Shri Neeraj Kumar Sachan, Joint Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly
Uttarakhand	Shri Hem Chandra Pant, Secretary in charge, Uttarakhand Legislative Assembly	Shri Laxmikant Uniyal, Under Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly

By order,



(SUMAN KUMAR DAS)
SECRETARY

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण

अंक में तारीख 29 सितम्बर, 2026 को प्रकाशनार्थ।

राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण

अंक में 29 सितम्बर, 2026 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

आश्विन 07, 1948 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/3/2026 (2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 29 सितम्बर, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
उत्तर प्रदेश	श्री अजीत कुमार वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	श्री नीरज कुमार सचान, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
उत्तराखंड	श्री हेम चन्द्र पन्त, प्रभारी सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	श्री लक्ष्मीकान्त उनियाल, अनु सचिव, उत्तराखंड विधान सभा

आदेश से,

धुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)
सचिव